

केंद्र सरकार के मंत्रालयों में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत

2 अक्टूबर, 2019 तक सम्पूर्ण स्वच्छता एवं साफ-सफाई प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है, सभी मंत्रालयों विभागों को जन भागी/दारी को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मिशन सच्चे अर्थों में एक नागरिक आंदोलन बन सके, विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 01 मार्च, 2016 के अ पत्र के द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक मंत्रालय हर वर्ष कम से कम एक .शा.पखवाड़े तक चलने वाली योजना तैयार करके उसे कार्यान्वित करे ताकि स्वच्छ भारत मिशन के प्रति मंत्रालय के योगदान को ध्यान में लाया जा सके और साथ ही स्वच्छता से संबंधित मौलिक वास्तविक कार्य किए जा सके। कार्य योजना मंत्रालय की जिम्मेदारी के क्षेत्र पर आधारित होगी और इसमें नवाचारी पद्धतियों, मीडिया अभियान, कार्यशालाओं कार्यक्रमों के आयोजन आदि को शामिल किया जा सकता है। तदनुसार , विषयवार पखवाड़ों को निर्दिष्ट करते हुए एक ड्राफ्ट कैलेंडर तैयार किया गया है। कैलेंडर के अनुसार सभी मंत्रालय निम्नलिखित अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा मनाएंगे:-

क्रम सं०	तारीख	सुझाया गया विषय	विषय चुने जाने के कारण	सुझाये गए क्रियाकलाप
1	16-31 मई, 2016	केंद्र सरकार के सभी कार्यालय	26 मई को मौजूदा सरकार के शपथ-ग्रहण की दूसरी वर्षगांठ	<ul style="list-style-type: none">• swachhbharat.mygov.in पर सभी मंत्रालयों द्वारा की गई व्यापक प्रतिज्ञाएं• मंत्रालय के परिसर के भीतर स्वच्छता संबंधी क्रियाकलाप ; mygov.in पर फोटोग्राफ अपलोड करना।

तदनुसार, **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थसंबद्ध संगठनों/** द्वारा किए जाने वाले स्वच्छता संबंधी क्रियाकलापों की कार्य योजना निम्नलिखित अनुसार तैयार की गई है:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

- मंत्रालय के साथ-साथ इसके लाभार्थियों, इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों/संस्थानों/ गैरसरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न प्रमुख स्थानों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के नाम-बैनर लगाना/होर्डिंग/से साइन बोर्ड

- ii. इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों सरकारी संगठनों में स्वच्छता संबंधी-गैर/संस्थानों/कार्यशाला आयोजित करना
- iii. अल्पसंख्यकों हेतु विभिन्न लाभार्थी योजनाओं के छात्रों एवं अधिकारियों के बीच स्वच्छता एवं **स्वास्थ्य-विज्ञान** के संबंध में वादविवाद का आयोजन करना।-
- iv. इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों सरकारी संगठनों द्वारा अल्पसंख्यक-गैर/संस्थानों/समुदायों के बच्चों के बीच स्वच्छतापर चित्रकला प्रतियोगिता
- v. अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिष्ठित विद्वानों को आमंत्रित करते हुए अल्पसंख्यक बहुल मोहल्लों में स्वच्छता पर कार्यक्रमों का आयोजन
- vi. इस मंत्रालय द्वारा तथा इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों द्वारा किए जाने वाले स्वच्छता संबंधी क्रियाकलापों का विभिन्न प्रिंट एवं श्रव्यदृश्य मीडिया आदि में प्रचार/
- vii. स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न स्वच्छता संबंधी क्रियाकलापों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करना।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

- i. एनएमडीएफसी में स्वच्छता अभियान पखवाड़ा के बैनरों का प्रदर्शन , कर्मचारियों/अधिकारियों को अपनीअपनी अलमारी-, कप बोर्ड तथा कम्प्यूटरों को साफ करने के लिए प्रेरित करने हेतु कर्मचारियों की बैठक।
- ii. कार्यालयों में स्वच्छता एवं **स्वास्थ्य-विज्ञान** पर व्याख्यान आयोजित करना तथा कर्मचारियों को स्वच्छ भारत टोपियों का वितरण करना।
- iii. परिसर पर सफेदी, शीशों तथा फर्श की सफाई, समाचारपत्रों तथा पुरा-नी पत्रिकाओं आदि का निपटान।
- iv. स्वच्छता अभियान के संबंध में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करना।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग(एनसीएम)

- i. आयोग के कार्यालय में विभिन्न प्रमुख स्थानों पर एनसीएम के नाम से साइन बोर्ड / होर्डिंगबैनर लगाना।/
- ii. स्टाफ के बीच स्वच्छता पर कार्यशालाएं, वादविवाद आयोजित करना।-
- iii. पुरानी फाइलों को नष्ट कर ने तथा अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान सहित कार्यालय की संपूर्ण साफ-सफाई।

केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी)

- I. बैनर होर्डिंग आदि लगाते हुए स्वच्छता के लाभों के बारे में आम जनता को जागरूक/ करने के लिए प्रचार।
- II. राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ बोर्डों द्वारा विशेष स्वच्छता मुहिम।/
- III. सभी लाभार्थियों को अपने अपने पड़ोस में-स्वच्छता का माहौल तैयार करने की सलाह दी जाएगी।
- IV. संप्रेषण के सभी माध्यमों जैसे कि वेबसाइट , स्टेशनरी, पुस्तिकाओं आदि के वितरण में स्वच्छता संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- V. सम्मेलनसेमिनार/

इस मंत्रालय के अन्य अधीनस्थ संगठनों के संदर्भ में कार्य योजना इसके पश्चात् सूचित की जाएगी।